निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना।

आदेश

ई–मेल

स०स०–11 / एम०(कोर्ट)–04 / 2025 –293(11) /   पटना, दिनाक– 27.04.2026

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत डी०डी०टी० छिडकाव कर्मियो को चतुर्थ वर्गीय पद पर समायोजन / नियमित किये जाने हेतु समादेश याचिका सख्या–1989 / 2023, अनिल कुमार शर्मा एव अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया, जिसमे दिनांक–25 09 2024 को पारित न्यायादेश मे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न सस्थानों मे श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता / क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पद पर समायोजन / नियमित किये जाने के न्याय–निर्णय संसूचित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है –

"Since, the petitioners worked for 240 days during the period of 5 years starting from 1985-1986, their right of absorption/regularization has been crystallized by virtue of the resolution of the State Government dated 16.03 2006. When the right of the petitioners for regularization has been settled by a 2006 Resolution, the same cannot be denied by a subsequent decision of the General Administrative Department taken in the year 2022. Moreover, I have already come to the conclusion that the reasoned order passed on 30 08 2022 on the basis of the decision in C.W J C No 5538 of 2020 completely misinterpreted and misconstrued the resolution dated 16.03 2006. Thus, the said resolution cannot stand.

In view of what has been stated above, this Court finds that the petitioners are entitled to be absorbed/regularized as Superior Field Workers/Field Workers in the establishment of the Department of Health and Family Welfare, subject to the condition of their seniority in the existing vacancy of the department, within 90 days from the date of communication of this order."

2. समादेश याचिका सख्या–1989 / 2023, अनिल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एव अन्य में दिनांक–25 09.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण वादी द्वारा अवमाननावाद सख्या–391 / 2025 दायर किया गया। तदालोक मे विभाग की ओर से एल०पी०ए० संख्या–101 / 2025 एव Limitation Petition तथा IA No.02/2025 दायर किया गया, जिसे दिनाक–30.10.2025 को पारित न्यायादेश मे समादेश याचिका सख्या–1989 / 2023, मे दिनाक–25.09.2024 को पारित न्यायादेश को यथावत रखते हुए 90 दिनो के अन्दर समायोजित करने का आदेश के साथ एल०पी०ए० संख्या–101 / 2025 को खारिज कर दिया गया।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनाक–30.10.2025 को पारित न्यायादेश के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय, मे एस0एल0पी0 दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत है:–

"Since Writ Court has relied on circular of Health Department dt.16.03 2006, Which interalia, provides for seasonal Workers who have rendered 240 days continuous Service to be absorbed in regular establishment subsequent executive order issued in the year 2023 is of no avail. Writ Court has thus issued Direction for enforcement of

government resolution dated 16 03.2006 hence, there is no infirmity in order of writ court as affirmed in LPA"

उल्लेखनीय है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मियो के समायोजन/नियमितिकरण के सबध मे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र सख्या–639, दिनाक–16 03 2006 द्वारा विस्तृत प्रावधान किये गये है।

उक्त न्यायादेश के अनुपालन मे मत्रिमडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सख्या–1093, दिनाक–20.11 2018 मे निहित प्रावधानो के तहत वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एव विधि विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया है।

दिनाक–15 04.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता मे आहुत बैठक मे समिति द्वारा सम्यक विचारोपरात माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर **समादेश याचिका संख्या–1989/2023, अनिल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–25.09.2024 को पारित न्यायादेश का अनुपालन करने की बाध्यता को दृष्टिपथ** में रखते हुए याचिकाकर्तागण को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न सस्थानो में क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पद पर सकल्प निर्गत होने की तिथि से समायोजित/नियमित करने की अनुशसा की गई। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि उक्त समायोजन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु किया जा रहा है। अत. उक्त समायोजन को पूर्वोदाहरण नही माना जायेगा।

उक्त के आलोक मे कुल चार (04) याचिकाकर्ताओ को क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पद पर पे0 बैड वेतन 5200–20200/–, ग्रेड वेतन 1800/– (स्तर–01) मे जिला मलेरिया कार्यालय मे समायोजित/नियुक्त करते हुए निम्नरूपेण पदस्थापन किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम/पता	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार शर्मा, पिता–जनेश्वर शर्मा, ग्रा0 करेया, पो0+था0–पंचनपुर गया, पिन कोड–824236 (मो०–8986217159)	05 जून 1966	जिला मलेरिया कार्यालय, पटना
2	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0 राम लखन प्रसाद उर्फ राम लखन साव, साईचक, शिवजी कॉलोनी अनिसाबाद, था0–बेउर, जिला–पटना–800002 (मो०–8986217159)	03 सितम्बर 1966	जिला मलेरिया कार्यालय, पटना
3	श्री रामएकवाल प्रसाद, पिता–श्री चन्देश्वर साव, देओरामकीचक, मार्ची मिर्ची, ब्रहमपुर, पटना–800009	11 जनवरी 1968	जिला मलेरिया कार्यालय, पटना
4	श्री राजनन्दन साव, पिता– स्व0 राम किशुन साव, खुरागेचक (नेउरा), अदा, था0–फुलवारीशरीफ, पटना–801113	15 जनवरी 1968	जिला मलेरिया कार्यालय, पटना

2 नवनियुक्त कर्मी पदस्थापन आदेश के आलोक में तीन दिनों के अन्दर नव–पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3 नियुक्त कर्मियो का वेतन भत्ते का भुगतान उनके योगदान की तिथि से देय होगा।

4 योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, एव दहेज न लेने एव न देने सबधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. वैसे नवनियुक्त कर्मी जिनके द्वारा अबतक वाछित कागजात निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित नही किया गया है वे पदस्थापन स्थान पर योगदान के पूर्व अनिवार्य रूप वाछित कागजात समर्पित करना सुनिश्चित करेगे।

6 यह नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक एव अस्थायी है। भविष्य मे शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेख के सबध मे गलत सूचना पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

7 बिहार पेंशन (सशोधन) नियमावली, 2005 के द्वारा प्रतिपादित वित्त विभागीय सकल्प सख्या–1964, दिनांक–31.08.2005 एव 767, दिनाक–03 07.2007 के अनुसार उन कर्मियों को नयी अशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा।

8 नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नही होगा।

9 उपर्युक्त नियुक्ति माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक मे की गई है जो मात्र उपर्युक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यकर्ता (चतुर्थवर्गीय) के संबध मे ही लागू होगी। इसे किसी भी अन्य मामले में पूर्वोदाहरण नही समझा जायेगा।

10 निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ से सपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा। सपुष्टि पत्र के साथ सबधित पदाधिकारी नवनियुक्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ के फोटो को अभिप्रमाणित कर सभी प्रमाण पत्रो की छायाप्रति को अभिप्रमाणित करते हुए अधोहस्ताक्षरी से सपुष्ट करालेगे।

12. नियुक्ति/पदस्थापन प्रक्रिया मे पायी गयी त्रुटि/भूल के सुधार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

27/4/26

(डॉ० प्रणय राज शरण सिन्हा)
निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11 / /एम०(कोर्ट)–04 / 2025 – 293(11) / पटना, दिनांक– 27/04/2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मलेरिया/कालाजार), स्वास्थ्य भवन, सुलतानगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/सिविल सर्जन, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, बिहार/जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला मलेरिया कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–07 एव 04 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नव नियुक्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख, (प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।